न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर कोर्ट केम्प बायतु

पीठासीन अधिकारी–श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 10/2016

अपीलांट

सरूपाराम पुत्र सताराम जाति नाई निवासी हुडो की ढाणी, कोसरिया तहसील बायतु जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंटस

1. मंगलाराम पुत्र शेराराम
2. लालाराम पुत्र शेराराम
3. टीकूराम पुत्र शेराराम
4. लाखाराम पुत्र शेराराम
5. अणदाराम पुत्र हरजीराम
6. सागर पुत्र हरजीराम
7. मु0 धापू बेवा हरजीराम
8. तेजाराम पुत्र नवलाराम
9. पेमाराम पुत्र नवलाराम
10. किशनाराम पुत्र पदमाराम
11. मोहनलाल पुत्र पदमाराम
12. नाथूराम पुत्र सताराम
13. जोगाराम पुत्र सताराम
14. बनाराम पुत्र सताराम
15. समदा बेवा सताराम
16. लिच्छूराम पुत्र वगमाराम
17. नाथी देवी पुत्री रतनाराम
18. प्रकाश पुत्र भंवरलाल
19. जितेन्द्र पुत्र भंवरलाल
20. हड़वन्ताराम पुत्र भंवरलाल
21. हतु बेवा भंवरलाल
    रेस्पोडेंट सं0 18 से 20 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता हतु बेवा भंवरलाल
22. रामाराम पुत्र प्रतापाराम
23. बांकाराम पुत्र प्रतापाराम
    जाति नाई निवासी हुडो की ढाणी, कोसरिया तहसील बायतु जिला बाड़मेर
24. तहसीलदार बायतु
25. प्रबन्धक एसबीबीजे शाखा कवास

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 07.08.1999 द्वारा तहसीलदार बायतु

उपस्थित– 1. अपीलांट उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट सं. 05 व 13 उपस्थित।
4. रेस्पोडेंट संख्या 24 की ओर से ना.तहसीलदार उपस्थित।

आदेश दिनांक 09.06.2017

1. संक्षेप में अपीलान्ट की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट व रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 23 की पैतृक संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नंबर 200 रकबा 09 बीघा 11 विस्वा, खसरा नंबर 204 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 64 रकबा 173 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नंबर 198 रकबा 206 बीघा, खसरा नंबर 198/2 रकबा 09 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नंबर 233 रकबा 87 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नंबर 282 रकबा 138 बीघा 02 बिस्वा एवं खसरा नंबर 196 रकबा 15 बिस्वा कुल खसरा 8 कुल रकबा 626.11 बीघा सरहद मौजा हुडो की ढाणी कोसरिया तहसील बायतु में आई हुई है। जिसमें अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 8 से 21 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा, रेस्पोडेंट संख्या 1 से 7 का 1/3 हिस्सा एवं रेस्पोडेंट संख्या 22 व 23 का 1/3 हिस्सा है तथा इसी अनुसार पक्षकारान द्वारा समस्त खसरो का विभाजन करने हेतु अपनी–अपनी सहमति दी गई। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 7 ने अपीलांट को वादग्रस्त खेतों का मौके पर कब्जा काश्त व पूर्व किये गये बाहामी बंटवाड़ा अनुसार विभाजित करने का प्रस्ताव रखा जिस पर अपीलांट व अन्य सहखातेदारो ने सहमति दी। दोनो पक्षो ने संयुक्त रूप से आवेदन पत्र तहसीलदार बायतु के समक्ष पेश किया एवं तहसीलदार बायतु द्वारा सभी सहखातेदारो के समस्त खसरो में 1/3 – 1/3 हिस्से अनुसार विभाजन आदेश दिनांक 7.8.1999 को पारित किया गया। परन्तु खसरा नंबर 196 रकबा 15 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी का बंटवाड़ा मौके पर पक्षकारान के कब्जा व रहवास अनुसार नहीं कर, अकेले रेस्पोडेंट संख्या 1 से 7 के हिस्से में रख दिया गया, जबकि इस खसरा नंबर 198 में 1/3 हिस्सा अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 8 से 21 का, 1/3 हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 1 से 7 का तथा 1/3 हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 22 व 23 का कब्जा व रहवास था तथा जिस पर अपीलांट का 1/3 हिस्से से रकबा 05 बिस्वा भूमि पर पक्का रहवासी मकान बना हुआ है। उक्त विभाजन आदेश के

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

नक्शे का ज्ञान अपीलांट को नहीं हुआ तथा अरसा एक दिन पूर्व रेस्पोडेंट संख्या 01 से 07 द्वारा अपीलांट को उसके कब्जा काश्त व पक्की रहवासी ढाणी से बेदखल करने का प्रयास करने पर उसे जानकारी हुई तथा अपीलांट ने उक्त विभाजन आदेश की प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त की तब उसे इस विभाजन आदेश दिनांक **07.08.1999** की जानकारी हुई। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर म्याद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांटस ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किये।

2. हमने अपील अपीलांटस दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंटस को सम्मन जारी किये एवं अपीलाधीन पत्रावली तलब की।

3. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार "न्याय आपके द्वार" के तहत राजस्व कोर्ट केम्प बायतु में पेश हुई। जिसके लिए पक्षकारान एवं अभिभाषक को नोटिस की तामीली करा दी गई।

4. रेस्पोडेंट सं. 05 व 13 ने कथन किया कि हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट एवं रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 23 के समक्ष विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये। समस्त पक्षकारान के सहमत होने पर बंटवाड़ा सही होना स्वीकार करने के बाद तहसीलदार बायतु द्वारा उक्त विभाजन आदेश पारित किया गया। विभाजन आदेश के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो चुका है। अपीलांट को उक्त विभाजन आदेश की जानकारी शुरू से थी, परन्तु तत्समय इनके द्वारा कोई एतराज नहीं किया गया। अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

5. अपीलांट का कथन हैं कि एसके अनपढ़ एवं निरक्षर होने के कारण उन्होने अपने हस्ताक्षर कर कागजात रेस्पोडेंटस एवं हल्का पटवारी को दे दिये। हल्का पटवारी के साथ मिलीभगत कर रेस्पोडेंटस ने विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किये। विभाजन आदेश बाहामी बंटवाड़े के अनुसार नहीं किया गया तथा नक्शा ट्रेस की तरमीम एवं मौके पर कब्जा काश्त में भारी अन्तर है, जिसके कारण अपीलांट की ढाणी, पक्का रहवासी मकान आदि रेस्पोडेटस के कब्जे में चले गये। अपीलाधीन विभाजन आदेश अपीलांट की गैर हाजरी में एकपक्षीय पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय के

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

सिद्वान्त के प्रतिकूल है। तहसीलदार बायतु द्वारा पारित विभाजन आदेश दिनांक **07.08.1999** खारिज किया जाए।

6. हमने उभय पक्षो को सुना। अपीलांट का यह तर्क है कि तहसीलदार बायतु द्वारा अपीलांट की पक्का रहवासी मकान व ढाणी को अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव के जरिये रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 23 के हक में रख दिये गये, जिससे अपीलांट के विधिक हक एवं हित इत्यादि प्रभावित हो रहे है। तहसीलदार बायतु द्वारा दिनांक 07.08.199 को किया गया बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस एवं कब्जे काश्त अनुसार नहीं किया गया। सर्वप्रथम अपीलान्ट को उक्त विभाजन आदेश का वास्तविक ज्ञान अरसा एक माह पूर्व को हुआ एवं वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर म्याद पेश की गई है। अपीलांटस की अपील स्वीकार कर पक्षकारान के भौतिक कब्जा काश्त अनुसार आराजी का विभाजन आदेश प्रदान करावें।

7. हमने अपीलांट एवं रेस्पोडेंटस संख्या 05 व 13 के कथन पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली, उस पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार बायतु द्वारा पारित विभाजन आदेश दिनांक 07.08.1999 के विरूद्व पेश की है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 23 की पैतृक पैतृक संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नंबर 200 रकबा 09 बीघा 11 विस्वा, खसरा नंबर 204 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 64 रकबा 173 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नंबर 198 रकबा 206 बीघा, खसरा नंबर 198/2 रकबा 09 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नंबर 233 रकबा 87 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नंबर 282 रकबा 138 बीघा 02 बिस्वा एवं खसरा नंबर 196 रकबा 15 बिस्वा कुल खसरा नंबर 8 कुल रकबा 626.11 बीघा सरहद मौजा हुडो की ढाणी कोसरिया तहसील बायतु में आई हुई है। जिसमें अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 8 से 21 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा, रेस्पोडेंट संख्या 1 से 7 का 1/3 हिस्सा एवं रेस्पोडेंट संख्या 22 व 23 का 1/3 हिस्सा था तथा इसी अनुसार पक्षकारान द्वारा समस्त खसरो का विभाजन करने हेतु अपनी–अपनी सहमति दी गई। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 7 ने अपीलांट को वादग्रस्त खेतों का मौके पर कब्जा काश्त व पूर्व किये गये बाहामी बंटवाड़ा अनुसार विभाजित करने का प्रस्ताव रखा जिसे पर अपीलांट व अन्य सहखातेदारो ने सहमति दी। दोनो पक्षो ने संयुक्त रूप से आवेदन पत्र तहसीलदार बायतु के समक्ष पेश किया एवं तहसीलदार बायतु द्वारा सभी सहखातेदारो ने समस्त खसरो में 1/3 – 1/3 हिस्से

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अनुसार विभाजन आदेश दिनांक 7.8.1999 को पारित किया गया। परन्तु खसरा नंबर 196 रकबा 15 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी का बंटवाड़ा मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त व रहवास अनुसार नहीं कर, अकेले रेस्पोडेंट संख्या 1 से 7 के हिस्से में रख दिया गया, जबकि इस खसरा नंबर 196 में 1/3 हिस्सा अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 8 से 21 का, 1/3 हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 1 से 7 का तथा 1/3 हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 22 व 23 का कब्जा व रहवास था तथा अपीलांट का 1/3 हिस्से से रकबा 05 बिस्वा भूमि पर पक्का रहवासी मकान बना हुआ है। खसरा नंबर 196 के किये गये विभाजन को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद बना हुआ है और मौके पर बंटवाड़ा अनुसार कब्जा न होकर भिन्न प्रकार से कब्जा है, अर्थात् विभाजन आदेश पक्षकारान के मौजूदा कब्जा काश्त बाई मिटस एवं बाउण्डस के अनुसार नहीं है तथा राजस्थान काश्तकारी नियम 20 व 21 की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बायतु ने विभाजन विलेख स्वीकृत करने से पूर्व रेकर्ड, मौके की स्थिति की सही जांच नहीं की, जिसके अभाव में अपीलाधीन आदेश को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट नें अपील के साथ देरी से प्रस्तुत करने बाबत् धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया है, जो अपील के तथ्यों को देखते हुए स्वीकार किया जाकर अपील अंदर म्याद सुमार की जाती है।

8. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.08.1999 को अपास्त किया जाता है और तहसीलदार बायतु को निर्देश दिये जाते हैं कि पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त व बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के सिद्वान्त अनुसार खातेदारान की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी नियम 20 व 21 की पालना करते हुए पुनः विधिवत विभाजन आदेश पारित करें।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

आदेश कोर्ट केम्प बायतु में आज दिनांक 09.06.2017 को सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर
(ए.डी.एम.)